न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 2024/1077/ टोंक

जगदीश सिंह पुत्र शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी कडीला थाना डिग्गी तहसील मालपुरा जिला–टोंक।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
आदेश दिंनाक 17–02–2015

उपस्थितः 1– श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक, अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

निर्णय

दिनांक : 08–12–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट जगदीश सिंह पुत्र शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी कडीला थाना डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक के नाम अनुज्ञा पत्र संख्या 20/93 जारी किया हुआ है तथा उसमें शस्त्र संख्या 152/96/एम.एल. गन टोंक दर्ज है। उक्त अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत किया गया था। उक्त अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष प्रार्थनापत्र पत्र प्रस्तुत कर शस्त्र सम्बंधित थाने में जमा कर कर रसीद भी संलग्न की गई। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार थाना डिग्गी में दर्ज मुकदमा नम्बर 116/14 धारा 143 एवं 283 भा.द.सं. में दिनांक 8.7.2014 को जिसमें अनुसंधान जारी होना मानते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र को जिला कलटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–02–2015 से निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा प्रस्तुत कथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 27.9.2013 जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई थी उसे नहीं मानते हुए पश्चातवर्ती पुलिस अधीक्षक टोंक से मंगवाई गई रिपोर्ट दिनांक 15–12–2014 को आधार मानते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्रों नियमों की पूर्ण जानकारी है अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कराये गये मुकदमों में कहीं भी शस्त्र से फायर करने या धमकाने के बारे में रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है और न ही किसी गवाह ने शस्त्र के दुरूपयोग के बारे में कोई बयान दिया है। अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है जिसकी पुष्टि उक्त मुदकमे की एफ.आई.आर. की प्रति से होती है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमों में अभी अनुसंधान जारी है एवं अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा अभी दोषी नहीं माना है। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाता है तो लोक शांति एवं सुरक्षा के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा धारा 17 (बी) राजस्थान आयुद्ध अधिनियम को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अस्पष्ट एवं कारण रहित नोन स्पीकिंग आदेश द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण निरस्त करने का आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमे विचाराधीन होने मात्र से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के अंतिम निर्णय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता अपीलार्थी को मुकदमें में दोषी नहीं माना जा सकता। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि किस प्रकार उक्त मुकदमा लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाइसेंस निलम्बित करना जरूरी था। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश अन्तर्गत अपील न्यायिक दृष्टांत 2005 (2) सी.आर.एल.आर. (राज.) पेज 907 खेमसिंह बनाम् राजस्थान सरकार व अन्य के विपरीत है होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2015 निरस्त कर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्रका नवीनीकरण कराये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 152/96/एम.एल.गन का नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसे उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 15–12–2014 में आगामी अवधि के लिए न्वीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा के आधर पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र अपने आदेश दिनांक 17–02–2015 द्वारा निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के विरूद्ध संबंधित थाना क्षेत्र में जितने भी मुकदमें दर्ज थें उनमें से कुछ प्रकरणों में राजीनामें के आधार पर एवं कुछ प्रकरणों में अपीलार्थी को बरी किया जा चुका है।

जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 27–09–2013 से स्पष्ट है। उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा पूर्व में दिनांक 27–09–2013 अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के संबंध में रिपोर्ट भिजवा दी थी तो जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से पुनः जांच कर रिपोर्ट क्यों प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने अपनी दूसरी रिपोर्ट दिनांक 15–12–2014 में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका संख्या 42 में प्रभारी अधिकारी ने "नवीनतम रिपोर्ट ली जावे" का अंकन किया है। इस संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की कि क्यों नवीनतम रिपोर्ट ली जावे। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 15–12–2014 में केवल आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की जाती है का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध संबंधित थानों में दर्ज कराये गये मुकदमों में अपीलार्थी द्वारा कहीं भी शस्त्र से फायर करने या किसी

संभागीय आयुक्त
अजमेर

व्यक्ति विशेष को धमकाया हो के संबंध में रिपोर्ट में कहीं उल्लेख नहीं है और न ही किसी गवाह ने शस्त्र के दुरूपयोग के बारे में कोई बयान दिया है। अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है जिसकी पुष्टि उक्त मुदकमे की एफ.आई.आर. की प्रतियों से होती है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमों में अभी अनुसंधान जारी है एवं अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा अभी दोषी नहीं माना है। साथ ही अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नहीं किये जाने से किस तरह से लोक शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है, के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया है। अपीलार्थी का आचरण व व्यवहार अच्छा है तथा आवेदक द्वारा विगत वर्षो में कभी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या अनुज्ञा पत्र संख्या 20/93 एवं शस्त्र संख्या 152/96/एम.एल. गन टोंक निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2015 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश क्रमांक 1254/न्याय/शअपत्र/निरस्त/2015 दिनांक 17–02–2015 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान आयुद्य अधिनियम एवं गृह विभाग द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न संबंधित नियमों के अनुसरण में प्रकरण में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के बारे में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन कर एवं नियमानुसार संबंधित एजेन्सियों से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 08–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर